

# कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), जिला-डीग

क्रमांक: रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2026/राजकाज संदर्भ सं.

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

## विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ: 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 एवं एफ. 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 जयपुर, दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से सशुल्क आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2026 सायं 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय जिला रसद अधिकारी डीग (तहसील परिसर, डीग) से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर दिनांक 19.02.2026 सायं 5:00 बजे तक पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, डीग में जमा करवाये जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.स.	तहसील/नगरपालिका	दुकान का स्थान	ग्राम पंचायत का नाम/नगरपालिका	पोस कोड	आरक्षण की स्थिति
1.	डीग	वार्ड नं. 05(पुराना)	डीग	24867	महिला आरक्षित
2.	डीग	वार्ड नं. 11(पुराना)	डीग	24873	अनारक्षित
3.	कामां	वार्ड नं. 12(पुराना)	कामां	24908	महिला आरक्षित
4.	नगर	पाटका(दुनावल)	नगर	24988	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17 (1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016, 25.11.2020 एवं अन्य दिशा-निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [food.raj.nic.in](http://food.raj.nic.in) व जिला रसद कार्यालय डीग में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

सभी रिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदकों को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(उत्सव कौशल)

जिला कलक्टर

डीग

क्रमांक: रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2026/राजकाज संदर्भ सं.

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref No.:  
20644935



2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. माननीया सांसद महोदया, भरतपुर।
5. माननीय विधायक महोदय, डीग-कुम्हेर/नगर/कामां।
6. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को भेजकर उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट [food.raj.nic.in](http://food.raj.nic.in) पर अपलोड कराने हेतु।
8. जिला रसद अधिकारी, डीग।
9. उपखण्ड अधिकारी, समस्त, जिला डीग।
10. एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, डीग को जिले की वेबसाइट पर विज्ञप्ति अपलोड करने हेतु।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, जिला डीग।
12. तहसीलदार, समस्त, जिला डीग।
13. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, डीग को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका, समस्त जिला डीग।
15. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक जिला डीग।
16. सरपंच/प्रशासक संबंधित ग्राम पंचायत, डीग
17. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर  
डीग